न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)

पीठासीन अधिकारी– औमप्रकाश वर्मा आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या : 87 /2025

निर्णय दिनांक : 17.09.2025

जीसीएमएस कमांक: 2025/223

1. मुकेश कुमार मेघवाल पुत्र गणपत राम मेघवाल जाति मेघवाल निवासी पार्वतीसर तहसील सुजानगढ जिला चूरू राजस्थान

.................वादी

बनाम

1. लालाराम पुत्र लादूराम जाति नायक निवासी पार्वतीसर तहसील सुजानगढ जिला चूरू राजस्थान
2. राजूराम पुत्र सोहनराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम पार्वतीसर तहसील सुजानगढ जिला चूरू राजस्थान
3. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार साहब, सुजानगढ जिला चूरू राजस्थान

...............प्रतिवादीगण

उपस्थितः–

1. वादी की ओर से अधिवक्ता श्री विजेन्द्रसिंह
2. प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री शक्तिसिंह
3. राजपैरोकार तहसीलदार सुजानगढ़

–:निर्णयः–

संक्षेप में वाद के मुख्य तथ्य इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादी खातेदार के संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त उपयोग उपभोग के पुराना खेत खंसरा नं0 877/794 तादादी 1.9461 हैक्टेयर वाके रोही पार्वतीसर तहसील सुजानगढ जिला चूरू में स्थित था। जिसके वर्तमान में उपरोक्त खेत के नये खसरा नं0 983/877 तादादी 0.0976 हैक्टेयर, वर्तमान में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज स्थित है। खंसरा नं0 1072/984 तादादी 1.4285 हैक्टेयर खंसरा नं 1096/1073 तादादी 0.3080 हैक्टेयर, लालाराम पुत्र लादूराम के नाम दर्ज है। तथा खंसरा नं0 1095/1073 तादादी 0.1120 हैक्टेयर गैर मुमकिन आवासीय दर्ज है। वादगत खेत खंसरा नं0 877/794 तादादी 1.9461 हैक्टेयर रोही पार्वतीसर में प्रतिवादी संख्या 01 का 6094/6487 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 2 का 393/6487 हिस्सा, संयुक्त खातेदारी में दर्ज था। वादी ने प्रतिवादीगण से उसके संयुक्त खातेदारी के खेत खंसरा नं0 877/794 तादादी 1.9461 हैक्टेयर वाके रोही पार्वतीसर तहसील सुजानगढ जिला चूरू में उसके 6094/6487 हिस्सा यानि 1.9461 हैक्टेयर भूमि में से जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 24/01/2023 के द्वारा 0.3794 हैक्टेयर भूमि खरीद थी। खरीद करने के दिन से 0.3794 हैक्टेयर भूमि पर कब्जा काश्त उपयोग उपभोग वादी का चला आ रहा है। वादी ने खरीद शुदा कब्जा काश्त उपयोग उपभोग की 0.3794 हैक्टेयर भूमि वादी के नाम राजस्व रेकार्ड मैं खातेदारी अंकित नहीं हुई। इसलिए वादगत खेत का वर्तमान राजस्व रेकार्ड वादी के मुकाबले गलत मिथ्या प्रभावहीन निषप्रभावी है। इसलिए घौषित किया जावे कि वादगत खेत खंसरा नं0 877/794

उप खण्ड अधिकारी

तादादी 1.9461 हैक्टेयर रोही पार्वतीसर तहसील सुजानगढ जिला चूरू में से वादी ने प्रतिवादी संख्या 01 से उसके 6094/6487 हिस्सा यानि 1.9461 हैक्टेयर भूमि में से 0.3794 हिस्सा भूमि दिनांक 24/01/2023 के द्वारा खरीद शुदा है। जिसका एक मात्र खातेदार कृषक वादी है। वादी ने विक्रय पत्र दिनांक 24/01/2023 के द्वारा खरीद शुदा भूमि की खातेदारी राजस्व रेकार्ड में अंकित कराने के लिए विक्रय पत्र की फोटो प्रति पटवारी हल्का को दी थी। परन्तु पटवारी हल्का ने वादी के विक्रय पत्र के आधार पर खरीद शुदा भूमि की खातेदारी राजस्व रेकार्ड में अंकित नहीं हो सकी। इसलिए वादगत खेत खसरा नं0 877/794 तादादी 1.9461 हैक्टेयर में प्रतिवादी संख्या 01 के संयुक्त खातेदारी 6094/6487 हिस्सा में से जिसकी खातेदारी वादी के नाम राजस्व रेकार्ड में खातेदारी अंकित की जाकर वादगत खेत के वर्तमान राजस्व रेकार्ड में संशोधन किया जावें। खेत खसरा नं0 877/794 तादादी 1.9461 हैक्टेयर जिसके वर्तमान खंसरा नं0 983/877 तादादी 0.0976 हैक्टेयर वर्तमान में गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज स्थित हैं खसरा नं0 1072/984 तादादी 1.4285 हैक्टेयर व खसरा नं0 1096/1076 तादादी 0.3080 हैक्टेयर लालाराम पुत्र लादू राम के नाम दर्ज है। तथा खसरा नं0 1095/1073 तादादी 01120 हैक्टेयर राजूराम पुत्र सोहनराम के नाम अलग से दर्ज हो गयी हैं। वादी का वर्तमान में खंसरा नं0 1072/984 तादादी 1.4285 हैक्टेयर में से 0.3794 हैक्टेयर पर कब्जा काश्त है। वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 से मौखिक रूप से दिनांक 06/06/2025 को निवेदन किया कि वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 01 से उसके हिस्सा 6094/6487 हिस्सा यानि 1.9461 हैक्टेयर में से रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 24/01/2023 के द्वारा 0.3794 हैक्टेयर भूमि खरीद शुदा की खातेदारी राजस्व रेकार्ड में अंकित कराये परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 स्पष्ट इनकार कर दिया तथा वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ने ऐलानीया तौर पर धमकिया दी कि वादगत खेत की खातेदारी में तुम्हारा नाम अंकित नहीं है। इसलिए वादगत खेत खंसरा नं0 877/794 तादादी 1 9461 हैक्टेयर के जिसके वर्तमान खसरा नं0 1072/984 तादादी 1.4285 हैक्टेयर को किसी अन्य व्यक्ति को विक्रय कर कब्जा केता को करवाकर वादी को बेदखल करेगें। इसलिए वादी के लिए आवश्यक हो गया कि वोह न्यायालय से चिर निषेधाज्ञा की डिकी प्राप्त करके प्रतिवादी संख्या 01 को वर्जित कराये कि वादगत खेत में वादी का नाम जब तक राजस्व रेकार्ड में दर्ज न हो जाये तब तक वादगत खेत के किसी हिस्से या अंश को विक्रय हस्तानान्तरण रहन वैध आदि नहीं करे नाही वादी को उसके खरीद शुदा भूमि से जबरन बल पूर्वक बेदखल कर कब्जा स्वयं नहीं करें। वादी द्वारा वाद प्रस्तुत कर निवेदन किय गया कि घोषित किया जावे कि वादगत खेत खंसरा नं 877/794 तादादी 1.9461 हैक्टेयर वाके रोही पार्वतीसर तहसील सुजानगढ जिला चूरू में प्रतिवादी संख्या 01 के संयुक्त खातेदारी में से 6094/6487 हिस्सा में से वादी द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 24/01/2023 के द्वारा 0.3794 हैक्टेयर भूमि खरीद शुदा है। जिसका एक मात्र खातेदार कृषक वादी है। वादगत खेत खंसरा नं0 877/794 तादादी 1. 9461 हैक्टेयर वाके रोही पार्वतीसर तहसील सुजानगढ जिला चूरू जिसके वर्तमान नये खसरा नं० 983/877 तादादी 0.0976 हैक्टेयर, खसरा नं0 1072/984 तादादी 1.4285 हैक्टेयर खंसरा नं 1096/1073 तादादी 0.3080 हैक्टेयर, तथा खंसरा नं० 1095/1073 तादादी 0. 1120 हैक्टेयर वर्तमान राजस्व रेकार्ड वादी के मुकाबले गलत मिथ्या प्रभाव शुन्य हैं। क्योकि वादी ने वादगत खेत में से प्रतिवादी संख्या 01 से उसके 6094/6487 हिस्सा में से 0.3794 हैक्टेयर भूमि जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 24/01/2023 के द्वारा खरीद शुदा है। जिसकी खातेदारी वादी के नाम राजस्व रेकार्ड में अंकित वादगत खेत के वर्तमान राजस्व रेकार्ड में संशोधन फरमाया जाकर वादी के नाम 0.3794 हैक्टेयर की खातेदारी अंकित की जावे। वादगत खेत खंसरा नं0 877/794 तादादी 1.9461 हैक्टेयर वाके रोही पार्वतीसर तहसील सुजानगढ जिला चूरू जिसके वर्तमान नये खंसरा नं० 33/877 तादादी 0.0976 हैक्टेयर, खंसरा नं0 1072/984 तादादी 1.4285 हैक्टेयर खंसरा नं 1096/1073 तादादी 0.

उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ

3080 हैक्टेयर, तथा खंसरा न० 1095/1073 तादादी 0.1120 हैक्टेयर में से खंसरा नं0 1072/984 तादादी 1.4285 हैक्टेयर में 0.3794 हैक्टेयर हिस्सा वादी का नाम दर्ज कर भूमि की खातेदारी राजस्व रेकार्ड में अंकन कर वादी अकेले के नाम पृथक अंकित की जाकर लगान कायम किया जावें। प्रतिवादी संख्या 01 के विरूद्ध चिर निषेधाज्ञा की डिकी पारित फरमायी जाकर वर्जित फरमायी जावे कि जबतक वादगत में संशोधन होकर वादी का नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज नहीं हो जाता तब तक वादगत खेत के किसी हिस्सा या अंश को विक्रय हस्तान्तरण रहन वैध आदि नहीं करे ना ही वादी को उसमें हिस्सा भूमि से जबरन बलपूर्वक बेदखल नहीं करे नहीं वादी के कब्जा काश्त उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधाये रूकावटे आदि स्वयं पैदा करें या किसी अन्य से कराये जिससे वादी के वैध कानूनी अधिकारों के विपरीत असर पड़ें।

दावा दर्ज रजिस्टर्ड किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण सं॰ 1 ता 4 की ओर से अधिवक्ता श्री शक्तिसिंह ने वकालतनामा प्रस्तुत किया। प्रतिवादी सं॰ 3 की ओर से तहसीलदार पैरोकारराज उपस्थित आये। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 ने उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया गया। जो तस्दीक कर शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादीगण सं॰ 3 पेरोकारराज द्वारा राज्य हित निहित नहीं होना अंकित किया गया है। वादी तथा प्रतिवादी द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत करनी नहीं चाही।

पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो चुका है। वादी व प्रतिवादीगण सं॰ 1 ता 2 ने राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादगत खेत ख0नं0 877/794 तादादी 1.9461 वाके रोही पार्वतिसर में प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा 0.3794 है0 भूमि वादी को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 24.01.2023 विक्रय की गयी थी। वादगत खेत खसरा नम्बर 877/794 तादादी 1.9461 है0 वाके रोही पार्वतीसर जिसमें वर्तमान नये खसरा नम्बर 983/877 तादादी 0.0976 है0 खसरा नम्बर 1072/984 तादादी 1.4285 है0 खसरा नम्बर 1096/1073 तादादी 0.3080 हैव, ख्सार नम्बर 1095/1073 तादादी 0.1120 है0 वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड वादी के मुकाबले गलत, मिथ्या व प्रभाव शून्य है। क्योंकि वादी ने वादगत खेत में से प्रतिवादी संख्या 1 से उसके 6094/6487 हिस्सा में से 0.3794 है0 भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 24.01.2023 के द्वारा खरीद शुदा है जिसकी खातेदारी वादी के नाम वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में पृथक से अंकित की जाकर संशोधन फरमाया वादगत खेत खसरा नम्बर 877/794 तादादी 1.9461 है0 वाके रोही पार्वतीसर जिसमें वर्तमान नये खसरा नम्बर 983/877 तादादी 0.0976 है0 खसरा नम्बर 1072/984 तादादी 1.4285 है0 खसरा नम्बर 1096/1073 तादादी 0.3080 हैव, ख्सार नम्बर 1095/1073 तादादी 0.1120 है0 में से ख्सारा नम्बर 1072/984 तादादी 1.4285 है0 में से 0. 3794 है0 वादी के नाम दर्ज कर वादी के अकेले के नाम पृथक अंकित की जाकर लगान का विभाजन किया जावे। उपर्युक्तानुसार राजीनामा तस्दीक कर राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद करावें तो प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को कोई आपत्ति नहीं है। पक्षकारान ने मुताबिक राजीनामा वाद डिक्री फरमाये जाने हेतु निवेदन किया।

बहस सुनी जाकर बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया गया। वादी ने अपने वाद के समर्थन में फोटोप्रति विक्रय पत्र दिनांकित 24.01.2023, प्रमाणित प्रति जमाबन्दी खसरा नम्बर 983/877, 1095/1073, 1072/984 व 1096/1073 प्रस्तुत किया है। जमाबन्दी तथा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र 24.01.2023 के अवलोकन से स्पष्ट है कि लालाराम पुत्र लादूराम जाति नायक निवासी

उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ

पार्वतीसर तहसील सुजानगढ़ द्वारा रोही ग्राम रोही ग्राम पार्वतीसर में एक किता खेत खसरा नम्बर 877/794 रकबा 1.9461 है0 पार्वतीसर तहसील सुजानगढ़ के की अपने 1.8282 है0 हिस्से में से 0.3794 है0 भूमि वादी वादी के पक्ष में विक्रय किया गया है। वर्तमान में खसरा मूल खसरे से टूटकर बने नये खसरा संख्या 1072/984 तादादी 1.4285 है0 में से 0.3794 है0 पर वादी का कब्जा काशत है। उपर्युक्त विक्रय पत्र के अनुसार प्रशनगत भूमि वादी के नाम दर्ज रिकॉर्ड होनी चाहिये थी। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 ता 02 ने न्यायालय में हाजिर होकर राजीनामा प्रस्तुत किया है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किया जाकर अंतिम रूप से डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

—:आदेश:—

अतः दावा वादीगण अंतिम रूप से डिक्री किया जाकर घोषित किया जाता है, कि वादगत खेत खंसरा नं0 एक किता खेत खसरा नम्बर 877/794 रकबा 1.9461 है0 पार्वतीसर तहसील सुजानगढ के की अपने 1.8282 है0 हिस्से में से 0.3794 है0 भूमि वादी वादी के पक्ष में विक्रय किया गया है। तहसीलदार सुजानगढ को आदेशित किया जाता है कि वादगत खेत के वर्तमान राजस्व रेकार्ड में संशोधन फरमाया जाकर वादी के नाम 0.3794 हैक्टेयर की खातेदारी अंकित की जावे। वादगत खेत खंसरा नं0 877/794 तादादी 19461 हैक्टेयर वाके रोही पार्वतीसर तहसील सुजानगढ जिला चूरू जिसके वर्तमान नये खंसरा नं० 983/877 तादादी 0.0976 हैक्टेयर, खंसरा नं0 1072/984 तादादी 1.4285 हैक्टेयर खंसरा नं 1096/1073 तादादी 0.3080 हैक्टेयर, तथा खंसरा न० 1095/1073 तादादी 0.1120 हैक्टेयर में से खंसरा नं0 1072/984 तादादी 1.4285 हैक्टेयर में 0.3794 हैक्टेयर हिस्सा वादी का नाम दर्ज कर भूमि की खातेदारी राजस्व रेकार्ड में अंकन कर वादी अकेले के नाम पृथक अंकित की जाकर लगान कायम किया जावें। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 17.09.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया जाकर सरेआम इजलास में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ

डिकरी ब मुकदमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रुल 6–7 जब्ता दावानो)

(Civil Procedure code, Appendix 'D'-1)

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी मुकाम सुजानगढ़**

व इजलास **श्री ओमप्रकाश वर्मा, आर.ए.एस**

मुकेश कुमार बनाम लालाराम आदि

राजस्व वाद संयुक्त खातेदारी विभाजन

मुकदमा न0 87 सन 2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रु–ब–रु ओमप्रकाश वर्मा हाजरी श्री श्री विजेन्द्रसिंह अधिवक्ता वादी, .मिनजानिब मुद्दई व श्री शक्तिसिंह अधिवक्ता प्रतिवादी, पैरोकार राज़ मिनजानिबमुदापलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व अंतिम रूप से डिक्री किया जाकर घोषित किया जाता है, कि वादगत खेत खंसरा नं0 एक किता खेत खसरा नम्बर 877/794 रकबा 1. 9461 है0 पार्वतीसर तहसील सुजानगढ़ के की अपने 1.8282 है0 हिस्से में से 0.3794 है0 भूमि वादी वादी के पक्ष में विक्रय किया गया है। वर्तमान में खसरा मूल खसरे से टूटकर बने नये खसरा संख्या 1072/984 तादादी 1.4285 है0 में से 0.3794 है0 पर वादी का कब्जा काश्त है। तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत खेत के वर्तमान राजस्व रेकार्ड में संशोधन फरमाया जाकर वादी के नाम 0.3794 हैक्टेयर की खातेदारी अंकित की जावे। वादगत खेत खंसरा नं0 877/794 तादादी 19461 हैक्टेयर वाके रोही पार्वतीसर तहसील सुजानगढ जिला चूरू जिसके वर्तमान नये खंसरा नं० 983/877 तादादी 0.0976 हैक्टेयर, खंसरा नं0 1072/984 तादादी 1.4285 हैक्टेयर खंसरा नं 1096/1073 तादादी 0.3080 हैक्टेयर, तथा खंसरा न० 1095/1073 तादादी 0.1120 हैक्टेयर में से खंसरा नं0 1072/984 तादादी 1.4285 हैक्टेयर में 0.3794 हैक्टेयर हिस्सा वादी का नाम दर्ज कर भूमि की खातेदारी राजस्व रेकार्ड में अंकन कर वादी अकेले के नाम पृथक अंकित की जाकर लगान कायम किया जावें।

चीज... मुबलिग .... बाबत ....

खर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह .... फीसदी

सालाना आज की तारीख से तारीख व सूलमाबी तक ....

.... को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख **17 माह 09 2025**

मुहर

दस्तखत ....

ओहदा ....

उप खण्ड अधिकारी सुजानगढ़

मुद्दई	रुपया	पै.	मुद्दायलाई	रुपया	पै.
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक			स्टाम्प बकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनतानाव कीलपर खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट : खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हरदोफरी केनका, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना